महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226 007

Website: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com **Email** upefaspo@gmail.com **Phone**: 0522-2780995

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– प्री–प्राइमरी/ECCE Educator/4834/2024–25 दिनांकः– 24/08/2024

विषयः समग्र शिक्षा एवं पी0एम0 श्री के अंतर्गत प्री–प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन (ईसीसीई एजुकेटर) हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि से 10684 मानव संसाधन (ईसीसीई एजुकेटर) को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 68–5099/178/2024–अनुभाग–5(बेसिक शिक्षा)–1/701861/2024 दिनांक 26 जुलाई 2024 (**संलग्नक–1**) का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024–25 में आवर्तक मद के अंतर्गत 10684 विद्यालयों (पीएम श्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए) में संचालित को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों में मानव संसाधन (ईसीसीई एजुकेटर) उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के कम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाडी केन्द्रों (जनपदवार सूची सलंग्न) हेतु प्रति केन्द्र 01 ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर (आउटसोर्सिंग के माध्यम से) मानदेय रू0 10313/– प्रति माह के आधार पर एक वर्ष हेतु रखा जाना है। उक्त पर चयन हेतु निम्नवत् अर्हताएं निर्धारित हैं–

- **पद का नाम :–** ईससीई एजुकेटर
- **पदों की संख्याः–** 10684
- **नियुक्ति स्थानः–**75 जनपद अवस्थित को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र युक्त 10684 विद्यालय
- **नियुक्ति का प्रकारः–** संविदा (आउटसोर्सिंग के माध्यम से)
- **संविदा अवधिः–** 11 माह
- **मानदेय :–** 10313/– प्रतिमाह (पीएफ+ईएसआई सहित)
- **शैक्षिक योग्यताः–**
  - विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत के अंको के साथ उत्तीर्ण की

हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

अथवा

नर्सरी अध्यापक शिक्षा / एन0टी0टी0 / सी0टी0(नर्सरी) / डी0पी0एस0ई0 का कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्य हो।

- आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक न हो।

- **ईसीसीई ऐजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्वः–**
  - आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना।
  - आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाडी कार्यकत्री को उक्त की सम्प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना।
  - आयुवर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति को सुनिश्चित करना।
  - बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड–पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना।
  - आंगनबाडी कार्यकत्री को बच्चों के साथ अन्य कियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्ययोजना बनाते हुए कार्य करना।
  - अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना।
  - बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडीकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
  - आंगनबाडी कार्यकत्री के साथ मिलकर आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कर कार्य करना।
  - शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय–समय पर प्रतिभाग करना।
  - ईसीसीई एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसीई से संबंधित कार्यों में लगाया जाये। फलस्वरूप आंगनबाडी केन्द्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिये गये कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा।
  - संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारिणी के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

- **सामान्य निर्देशः–**

  जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जायेगी–

  - जिलाधिकारी – अध्यक्ष।
  - प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य।

- जिला कार्यकम अधिकारी – सदस्य।
- जिला सेवायोजन अधिकारी – सदस्य।
- वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा – सदस्य।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव।

उक्त समिति शासनादेश संख्या– 8 / 2018 /20/1/91–का– 2/2019 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019, शासनादेश संख्या 717/ छत्तीस–5–2020––8 (26)/ 2020, श्रम अनुभाग–5, लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2020, शासनादेश संख्या–31 / 2020 /273/ 18.02.2020–87 (ल०30) / 2016टी. सी. दिनांक 25 अगस्त 2020 तथा शासनादेश संख्या 42/2020/ई–153/18–2–2020–97(ल0उ0)/2016 टीसी, दिनांक 7 दिसम्बर 2020 एवं शासानदेश 01/2023/1/295497/2023/छत्तीस–5–2023–36–5010(099)/3/2020–5 दिनांक 29 मार्च 2023 में निहित प्राविधानों एवं दिये गये निर्देशों के अनुरूप जेम पोर्टल से सेवाप्रदाता एजेन्सी का चयन किया जायेगा। इस संबंध में एक मॉडल बिड का नमूना शीघ्र ही पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन के पश्चात् एजेन्सी द्वारा संविदा के आधार पर (आउटसोर्सिंग के माध्यम से) ईसीसीई एजुकेट/कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जायेगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किये जायेंगे। चयनित कार्मिक केवल कार्य की आवश्यकतानुसार अधिकतम 11 माह तक के लिए रखे जायेंगे।

- **चयन प्रकिया एवं दक्षता प्रमाणीकरणः–**

I. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु निम्नांकित उपसमिति को जिलाधिकारी के अनुमोदन से गठित किय जायेगा–

- ➲ जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी –अध्यक्ष
- ➲ प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संबंधित जनपद – सदस्य
- ➲ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संबंधित जनपद – सदस्य सचिव
- ➲ जिला कार्यकम अधिकारी, संबंधित जनपद – सदस्य
- ➲ जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य दो सदस्य – सदस्य

II. **उक्त समिति द्वारा सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार संख्या (संलग्न) के अनुसार को–लोकेटेड आंगनबाडी वाले परिषदीय प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों का चयन जनपद स्तर से निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार किया जाये–**

- ✓ **ऐसे विद्यालयों का चयन किया जायेगा जहां यू–डायस 2023–24 के अनुसार विद्यालय की छात्र–संख्या एवं को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो।**
- ✓ **पीएम श्री विद्यालयों को अनिवार्यतः चयनित किया जायेगा।**
- ✓ **चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा–अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, आउटडोर प्ले मैटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जायेगा।**

✓ यथा संभव प्रत्येक विकास खण्डों से समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जायेगा।

III. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जायेगी। मेरिट सूची हाईस्कूल, इंटर, स्नातक/ डीपीएसई/एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा (शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर) के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही कम में तैयार करेगा। यदि दो या दो अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांको के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के कम में वरीयता प्रदान की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंको में पूर्णाकिंत (Roundoff) किया जायेगा।

IV. उक्त समिति द्वारा सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के पश्चात् विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या III में दी गयी मेरिट सूची में यथावश्यक संशोधन किया जायेगा।

V. **विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंगः–** इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में कम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें तैनाती की जानी है, चयन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात् वह विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जायेगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु संख्या–I में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

VI. उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रदान किया जायेगा।

VII. चयन प्रकिया विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने के संबंध में सेवाप्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जायेगी।

उक्तानुसार चयन संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति/शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय हेतु जिलाधिकारी के सम्मुख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण कराया जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 26 जुलाई 2024 के अनुसार उपर्युक्त चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किये जायेंगे। चयनोपरांत तैनात किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अभ्यर्थियों के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की व्यय सीमा निर्धारित की जायेगी।

तद्कम में निर्देशित किया जाता है कि **शासनादेश संख्या 68–5099/178/2024–अनुभाग –5(बेसिक शिक्षा)–1/701861/2024 दिनांक 26 जुलाई 2024** में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 10684 को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों **(समिति द्वारा निर्धारित)** हेतु मानव संसाधन (ईसीसीई एजुकेटर) उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से **दिनांक 30 सितम्बर 2024** तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः प्री–प्राइमरी/ ECCE Educator /4834 /2024–25 तद्दिनांक।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाअधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
8. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।